न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 71/2025

श्री भगवानदास जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 18 ताज कालोनी रोडवेज डिपो के सामने टोंक जिला–टोंक राज0 ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 27.08.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

खसरा गिरदावरी खरीफ व रबी फसल कस्बा उनियारा संवत् 2077 (सन् 2020) से अप्रेल 2025 (संवत् 2081) आफलाईन रिकार्ड की खसरा नं 2440 व 2442 की खसरा गिरदावरी खरीफ फसल रबी फसल सवंत् 2077 से 2079 तक गिरदावरी की दिनांक खरीफ फसल रबी फसल सवंत् 2080 से खरीफ फसल 2081 तक मय दिनांक रबी फसल सवंत 2081 खसरा नं. 3728 मय कुल 5 वर्षो की आफलाईन रिकार्ड की प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 13.08.2025 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा द्वारा पत्र क्रमांकः 2617 दिनांक 18.08.2024 से जवाब प्रेषित किया है। जवाब के साथ संलग्न खसरा गिरदावरी का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने वांछित सूचना प्राप्त कर ली है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

707